राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक - प.3(75)/RSSB/स्टोर/रद्दी निस्तारण/2022/214 दिनांकः 04/08/2022

खुली निविदा सूचना (2022-23/08)

बोर्ड कार्यालय में समय समय पर एकत्रित होने वाली विभिन्न प्रकार की रद्दी, जिसमे पुराने प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएँ, ओएमआर शीट्स, उपस्तिथि पत्रक, विस्तृत आवेदन पत्र, खाली लिफाफे, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, सामान्य पत्र, अप्रयुक्त परीक्षा सामग्री, बंडल स्वीप वेस्ट, खाली कार्टन्स एवं बारदाना आदि है, जिनका अनुमानित वजन 100 टन एवं अनुमानित राशि 17.00 लाख है कि बिक्री हेतु एक वर्ष के लिए दर अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय) इच्छुक दरदाताओं अथवा ऐसे फर्म/निविदादाताओं जिनके पास रद्दी से कागज बनाने की व्यवस्था हो से आमंत्रित की जाती है। इस सामग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्तें इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वैबसाइट http:sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वैबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र वैबसाइट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किए जा सकते हैं।

नोट-

1. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है। वोर्ड की वैवसाइट या उपापन पोर्टल से निविदा डाउनलोड करने की स्थिति मे निविदा शुल्क, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से जमा कराना होगा।
2. बोली प्रतिभूति एवं कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिप्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी या सरकारी विभागों की दशा में ईजीआरएएस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढायी गई विधि मान्यता की अवधि से 30 दिन आगे तक विधि मान्य रहनी चाहिए।
3. यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथी को अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा उसके अगले दिन उसी समय पर खोली जावेगी।

(सुनील पूनियां)
सचिव

तकनीकी निविदा प्रपत्र

बोर्ड कार्यालय में समय समय पर एकत्रित होने वाली विभिन्न प्रकार की रद्दी, जिसमे पुराने प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएँ, ओएमआर शीट्स, उपस्तिथि पत्रक, विस्तृत आवेदन पत्र, खाली लिफाफे, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, सामान्य पत्र, अप्रयुक्त परीक्षा सामग्री, बंडल स्वीप वेस्ट, खाली कार्टन्स एवं बारदाना आदि की बिक्री किए जाने हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

1	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग	सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	
2	निविदा अधीन कार्य का विवरण	विभिन्न प्रकार की रद्दी का निस्तारण	
3	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम	सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	
4	निविदा उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक04./08./2022	
5	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी व समय	दिनांक23./08./2022 को सांय 01.00 बजे तक	
6	तकनीकी निविदा खुलने की तिथी और समय	दिनांक23./08./2022 को सायं 03.00 बजे उपापन समिति द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के कक्ष में	
7	निविदादाता का विवरण	नाम	
		पता	
		टेलीफोन	
		मोबाइल फोन	
		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/ पदनाम	
8	निविदा शुल्क राशि 1000/-रूपये जमा कराने का विवरण (सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से देय)	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ——— दिनांक ———	
9	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 34000/- जमा कराने का विवरण (सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से देय)	डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या ——— दिनांक ———	

10. GST नियमों के अंतर्गत पंजीयन सं.______________ एवं पेन नंबर ______________ की प्रति संलग्न है।
11. राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं मे पिछले 3 वर्षो का अनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)

क्र॰ सं॰	राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं का नाम	अवधि

रद्दी से कागज बनाने वाले मिल/कारखानों को निविदा में भाग लेने हेतु अनभव की आवश्कता नहीं है बशर्ते वह ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे जिनसे यह स्पष्ट हो की फर्म कागज मिल/उद्योग के रूप में पंजीकृत है।

12. निविदा पर हस्ताक्षर फर्म से अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जावे।
13. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना

चाहिए।"**तकनीकी निविदा**" और "**वित्तीय निविदा**" के अलग – अलग सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा। तीसरे लिफाफे पर" **रद्दी निस्तारण हेतु दर निविदा** " के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा।

14. **बिड शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि जमा/संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नही किया जाएगा।**

15. **बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नही करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।**

16. **दर दाता फर्म का वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 वर्षो में प्रतिवर्ष 50 लाख का रुपये होना अनिवार्य है।**

17. बोली प्रतिभूति राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

18. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज आदि विभागीय वेब साईट **www.rsmssb.rajasthan.gov.in,** राज्य लोक उपापन पोर्टल (**http://sppp.rajasthan.gov.in**) के पोर्टल से डाउन लोड किया जा सकता हैं। डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा प्रथक से ड्राफ्ट सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से निविदा के साथ संलग्न करना होगा। ।

19. निर्धारित तिथी व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।

20. बोर्ड न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा निविदाओं को आशिंक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड कार्यालय का होगा।

21. **तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्ते:-**

   1. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि रुपये 34000/- **का** ड्राफ्ट।
   2. निविदा प्रपत्र नेट से डाउन लोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 1000/- **का** ड्राफ्ट।
   3. **वार्षिक टर्न ओवर के** दस्तावेज।

22. **निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।**

23. निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।

24. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम- 2013 प्रभावशील है। अत: उक्त निविदा पर उक्त नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें। अतः दर संविदा के मामले मे नियम 29(झ) के प्रावधान प्रभावशील होंगे।

25. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु : -

(1) पूरी बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों http://.www.rsmssb.rajasthan.gov.in, http://.www.sppp.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित किया गया है. डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल 1000 रुपये की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के लिए बोली की प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा - डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चैक जो सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक है

(2) बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार/पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।

(3) तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा. तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से

योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं / नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।

26. <u>निविदा से संबंधित बिन्दु</u>

(1) बोलीदाता उपापन की बेबसाईट http://www.sppp.rajasthan.gov.in को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

(2) बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए बोर्ड आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा / वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा।

(3) बोलीदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेजों निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है।

27. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

28. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिये।

29. **<u>अनुबंध</u>-** सफल बिडदाता को आदेश की दिनांक से 15 दिवस के भीतर 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3 अनुसार)में अनुबंध करना होगा। निर्धारित अवधि में अनुबंध नही किये जाने पर जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी।

30. **<u>कार्य निष्पादन प्रतिभूति</u>-** सफल बिडदाता को राशि रूपये 85000/–बतौर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के नकद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से आदेश की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर जमा कराने होगे। इसके अभाव में जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

31. कार्य निष्पादन प्रतिभूति लौटाने के समय किसी प्रकार से ब्याज देय नही होगा।

32. कार्य निष्पादन प्रतिभूति का समपहरणः–

(क) सफल निविदादाता निविदा से सफल दरों पर रददी को उठाने से मना करता है।

(ख) निविदा की विशिष्ट शर्त संख्या 41, 42 व 43 के उल्लंघन की स्थिति में।

33. असफल रहे बिडदाताओं की जमा बोली प्रतिभूति राशि शीघ्र लौटा दी जावेगी।

34. भरे हुए/प्रयुक्त, अप्रयुक्त परीक्षा सामग्री, उत्तर पत्रक आदि के चार टुकड़े अनुमोदित फर्म को अपने खर्चे पर बोर्ड परिसर में बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कराने होंगे। अधिकृत प्रतिनिधि के प्रमाण पत्र के पश्चात ही रद्दी सामग्री बोर्ड कार्यालय से उठाने दी जायेगी।

35. रद्दी के टुकड़े करने, बोरों में भरने तथा धर्म कांटे पर तोलने की व्यवस्था अपने खर्चे पर सफल बिडदाता को करनी होगी। खाली गाड़ी का वजन, सामग्री भरने के बाद के वजन में से कम करके किया जावेगा। रद्दी सामग्री कम होने पर फर्म द्वारा स्वंय की तोलने की मशीन पर रद्दी बोर्ड कार्यालय में तोली जा सकेगी। यह सभी कार्यवाही इस हेतु गठित कमेटी की उपस्थिति में की जावेगी तथा रद्दी की गाड़ी रवाना करने से पूर्व समस्त राशि कर सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करानी होगी।

36. रद्दी बोर्ड कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के अंतर्गत उठवानी होगी। निर्धारित अवधि में माल ना उठाने पर शास्ती नीचे लिखी सारणी के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से लगेगी। यह राशि कार्य संपादन

प्रतिभूति राशि में से काट ली जावेगी। रद्दी के वजन का सत्यापन भण्डारपाल तथा सहायक लेखाधिकारी प्रथम/कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

क्र. सं.	विलम्ब अवधि	शास्ती दर
1.	प्रथम सात दिवस की देरी पर	रू. 1000/– प्रतिदिन
2.	सात दिवस से पन्द्रह दिवस तक की देरी पर	रू. 2000/– प्रतिदिन
3.	पन्द्रह दिवस से इक्कीस दिवस तक की देरी पर	रू. 3000/– प्रतिदिन
4.	इक्कीस दिवस से तीस दिवस तक की देरी पर	रू. 4000/– प्रतिदिन

37. उक्त 30 दिवस की शास्ति अवधि के पश्चात् सचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता को माल बेच सके तथा सफल निविदादाता द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी। इस प्रकार के विक्रय से यदि कोई हानि होती है तो हानि की रकम दोषी निविदादाता की जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि अथवा दोनों से वसूल कर ली जायेगी।
38. रद्दी भरने का कार्य ठेकेदार स्वयं के मजदूरों से करायेगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा एवं बारदाना स्वयं लेकर आयेगा तथा रद्दी उठाने के लिए ट्रक/वाहन बोर्ड कार्यालय में मध्याह्न 12:00 बजे से पूर्व लाना होगा।
39. बोर्ड कार्यालय की रद्दी यथा अप्रयुक्त ओ.एम.आर. शीट, प्रश्न पत्र आदि की कतरन के बाद फर्म के द्वारा पल्प बनवाने हेतु सीधे ही पल्प मील को भिजवाना होगा तथा प्रमाण पत्र देना होगा कि समस्त सामग्री का पल्प मील में बनवा दिया गया है।
40. रद्दी केवल कागज पुर्ननिर्माण में ही प्रयुक्त की जा सकेगी।
41. समस्त रद्धी को उठाने के बाद कोई रद्धी उठाना शेष नहीं है इस आशय का प्रमाण पत्र परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी भण्डार से प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य पूर्ण माना जायेगा।
42. सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/ऐजेंसी को नहीं सौंपेगा या सब–लेट नहीं करेगा।
43. विक्रय की गई रद्दी का परिवहन अनुमोदित क्रेता को पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा कि समस्त रद्दी बोर्ड परिसर से उठाये जाने के बाद सीधे मील में पहुंचे तथा उक्त रद्दी को परिवहन करने वाले वाहन को तिरपाल आदि से चारों तरफ से इस प्रकार मजबूती से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कहीं पर भी रद्दी का टुकडा भी गिरने नहीं पावें यदि मार्ग में कहीं पर भी उक्त रद्दी सामग्री गिरने/परिवहन पश्चात भी उक्त रद्दी सामग्री का गलत प्रयोग या पल्प मील में नही भिजवाने की रिपोर्ट/जानकारी बोर्ड को आती है/होती है तो निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
44. स्वीकृत निविदाकार को रद्दी का तोल बोर्ड द्वारा नियुक्त तोल समिति के सदस्यों की समिति में निर्देशानुसार धर्मकांटे पर करवाना होगा। आवश्यकता होने पर तोल अन्य कांटों पर भी करवाया जा सकता है ऐसी स्थिति में अधिक तोल/वजन वाला कांटा ही मान्य होगा।
45. रद्दी का नमूना किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में देखा जा सकता हें
46. निविदाकार GST पंजीयन संख्या एवं पैन नं. आदि प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेज जो आवश्यक हो निविदा के साथ संलग्न करे।
47. माल का वजन अनुमानित है जो कि कम या ज्यादा हो सकता है।
48. रद्दी भरने के लिए बोरे स्वयं के खर्च पर पहले उपलब्ध कराने होंगे। तथा माल भरने के पूर्व खाली बोरे तुलवाने होंगें।
49. बिडदाता की उक्त बिड में सम्मिलित शर्तों के अलावा अन्य कोई भिन्न शर्त स्वीकार्य नहीं होंगी। सशर्त निविदा

स्वीकार नहीं होगी।

50. बोर्ड कार्यालय से प्रतिदिन उठायी जाने वाली रद्दी की अनुमानित मात्रा की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अग्रिम रूप से बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा।
51. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित GST कर एवं आयकर सफल बिडदाता से पृथक से नियमानुसार वसूल किया जाकर बोर्ड द्वारा सम्बधित विभाग को जमा कराया जावेगा।
52. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली बिडों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
53. बिड में वर्णित सभी आईटम्स के लिये एक ही दर प्रति क्विंटल के हिसाब से बिड प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है। शब्दों एवं अंकों में अंकित दरों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।
54. किसी भी बिड अथवा समस्त बिडों को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का होगा।
55. बिड सम्बन्धित किसी भी निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एवं द्वितीय अपील शासन सचिव (कार्मिक) शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।
56. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
57. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम जिनका उपर उल्लेख नहीं किया गया है, राजस्थान सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के भाग–II के प्रावधान लागु होंगे।
58. मैनें/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित सभी शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत हैं/हूं।

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई-मेल पता	

<u>अपीलः—</u>

- निविदादाता अपील उतनी प्रतियों में जितने अपील के प्रत्यर्थी है निर्धारित प्रारूप मे (संलग्न—अनु.—4) पेश करेगा।
- निविदादाता द्वारा प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, यदि कोई है, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबुत के साथ होगी।
- प्रत्येक अपील प्रथम अपील अधिकारी—(i) सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी —(ii शासन सचिव (कार्मिक) शासन सचिवालय, जयपुर को व्यक्तिशः या रजिस्टर्ड डाक या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।
- प्रथम अपील किसी निर्णय की दिनांक से 7 कार्य दिवसों में तथा द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय की दिनांक से 7 कार्य दिवसो में पेश की जा सकती है। उक्त समय के उपरान्त की गई अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।

<u>अपील फीसः—</u>

- कोई भी अपील बिना फीस के स्वीकार नही की जायेगी। प्रथम अपील के लिए यह 2500/— (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) तथा द्वितीय अपील के लिए यह 10,000/—(दस हजार रूपये) निर्धारित है जिसे सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा देय हैं
- अपील पेश किये जाने पर अपील अधिकारी द्वारा नियत तिथि को सुनवाई हेतु पेश होना आवश्यक है ताकि समस्त पक्षों को सुनने के उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। इस निर्णय की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

<u>अपील का प्रारूपः—</u> **(Annexure-4 अनुसार)**

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Annexure-2

वित्तीय निविदा सूचना

Tender Document for

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में रद्दी खरीदे जाने बाबत निविदा।

Tender Inviting Authority: SECRETARY, Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur, Rajasthan			
Name of Work : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में रद्दी खरीदे जाने बाबत निविदा।			
Bidder Name :			
SCHEDULE OF WORKS			
S.No.	Description of work	Rate per Quintal (In Numbers)	Rate per Quintal (In Words)
1	2	3	4
1	पुराने प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएँ, ओएमआर शीट्स, उपस्तिथि पत्रक, विस्तृत आवेदन पत्र, खाली लिफाफे, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, सामान्य पत्र, अप्रयुक्त परीक्षा सामग्री, बंडल स्वीप वेस्ट, खाली कार्टन्स एवं बारदाना अप्रयुक्त परीक्षा कागजात, बंडल, खाकी कपड़े/बिना कपड़े, झाड़न रद्दी, टाट के टुकड़े, पुट्ठे के कार्टून्स, कपड़े के टुकड़े आदि की विभिन्न प्रकार रद्दी सामग्री।		

1. निविदादाता के हस्ताक्षर
2. निविदादाता का नाम
3. डाक का पता
4. टेलीफोन नं. (दुकान)

स्थान

दिनांक

Annexure-3

अनुबंध / करार

यह अनुबंध आज दिनांक ....को सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर जिसे आगे चलकर बोर्ड कहा गया है तथा फर्म मैसर्स ....जिसे आगे चलकर अनुमोदित क्रेता कहा गया है, के मध्य सम्पन्न किया गया है:-

1. चूंकि अनुमोदित क्रेता राजस्थान राज्य के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके मुख्यालय पर इसके साथ संलग्न निविदा प्रपत्रो में उल्लेखित रद्दी (उपयोग मे ली गयी उत्तरपुस्तिकाएं, ओएमआर शीट, उपस्थिति पत्रक, विस्तृत आवेदन पत्रक, उपयोग किये गए लिफाफे, पुराने अखबार, इत्यादि) तथा संविदा के उपबन्धो मे दी गयी रीति के अनुसार उल्लेखित दरो पर क्रय करने के लिए बोर्ड के साथ सहमत हो गया है।
2. चूंकि अनुमोदित क्रेता ने .... की रकम नकद / डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या.................... दिनांक .... द्वारा उपयुक्त करार के यथावत पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा करवा दी गयी है।

अब यह लेख निम्नांकित का साक्ष्य है:-

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा सचिव, के जरिये इसक साथ संलग्न निविदा प्रपत्रो में उल्लेखित दरो जो निम्नानुसार है:-

क्र.स.	विक्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण	दर प्रति किलोग्राम	कुल योग
1.	उत्तर-पुस्तिकाओं ओएमआर शीट, उपस्थिति पत्रक, विस्तृत आवेदन पत्रक, उपयोग किये गए लिफाफे, पुराने अखबार,एवं अन्य सामग्री की रद्दी		

उपरोक्त सफल दरो पर अनुमोदित क्रेता .... (फर्म का नाम) संलग्न निविदा प्रपत्रो में उल्लेखित प्रयोग मे ली गयी उत्तरपुस्तिकाएं संबंधी संविदा तथा निविदा की शर्तो एवं प्रतिबंधो में बतलाई गयी रीति से यथावत रूप से क्रय करेगा।

1 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित GST कर एवं आयकर अनुमोदित क्रेता पृथक से नियमानुसार सम्बधित विभाग / बोर्ड को जमा कराया जावेगा।

2. निविदा और संविदा की शर्ते जो निविदा सूचना .... दिनांक............. के साथ संलग्न थी और इस करार के साथ भी संलग्न है इस करार का अंग समझी जावेगी और इस करार को निष्पादित करने वाले पक्ष इनसे बाध्य होगे।
3. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एतद्द्वारा यह करार करता है कि अनुमोदित क्रेता उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तो तथा प्रतिबंधो को मानेगा और उनका पालन करेगा तो बोर्ड के जरिये अनुमोदित क्रेता को उक्त प्रतिबंधो में उल्लेखित रीति से तथा समय पर विक्रयादेश जारी करेगा।
4. इस करार की ओर या विक्रयादेश की तारीख से 15 दिन की अवधि (अवकाश के दिनो सहित) के भीतर रद्दी उठानी होगी।
5. अनुमोदित क्रेता विर्निदिष्ट कालावधि के भीतर माल नही उठाता है तो बोर्ड अपने विवेकानुसार माल उठाने की अवधि निविदादाता से करार अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी जो शास्ति नही होगी की वसूली के अध्यधीन बढ़ा सकेगा। देरी से माल उठाने पर गोदाम किराया निम्नानुसार लगेगा जिसे प्रतिभूति राशि में से काट लिया जावेगा, जो निम्नानुसार होगा :-

क्र.स.	विलम्ब अवधि	गोदाम किराया प्रतिदिन (शास्ति)
1	प्रथम 7 दिवस की देरी के लिए	1000 रू.
2	8 से अधिक एवं 14 दिवस तक की देरी के लिए	2000 रू.
3	15 से अधिक एवं 21 दिवस तक की देरी के लिए	3000 रू.

4	22 से अधिक एवं 28 दिवस तक की देरी के लिए	4000 रू.

6. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर एतदद्वारा यह करार करता है कि यदि अनुमोदित क्रेता उपर्युक्त रीति से उक्त शर्तो प्रथा प्रतिबन्धो को मानेगा और उनका पालन करेगा तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर सचिव के जरिए अनुमोदित क्रेता को क्रय किए गए सामान की डिलेवरी निम्न प्रकार से करेगा। विक्रय की जाने वाली सामग्री की डिलीवरी भरे हुए ट्रक/ट्रको के सम्पूर्ण माल की अदायगी नकद/ड्राफ्ट द्वारा कार्यालय में जमा कराने पर ही दी जावेगी। क्रेता द्वारा सम्पूर्ण माल उठाने के पश्चात् ही उसके लिखित प्रार्थना पत्र (बांछित प्रमाण पत्रो सहित) प्रस्तुत करने पर प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी।
7. इस करार के संबंध में उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार के निर्वचन संबंधी समस्त प्रश्न माननीय, अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किए जावेगे तथा बोर्ड का विनिश्चिय अंतिम होगा।

जिसके साक्ष्य में इसके दोनो पक्षो में दिनांक .... को अपने हस्ताक्षर किए है।

हस्ताक्षर अनुमोदित क्रेता
साक्षी
1.
2.

बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर
साक्षी
1.
2.

Annexure-4

अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं...................................

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी).. के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां
   (i) अपीलार्थी का नाम
   (ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो
   (iii) आवासिय पता
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पताः
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके
   विरुद्ध अपील की गयी है और
   अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम
   जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें)
   या अधिनियम के उपबंधो के उल्लंधन में
   उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य का लोप
   का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित हैः
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा
   प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो
   प्रतिनिधि का नाम और डाक का पताः
5. अपील के साथ संलग्न किये गये
   शपथपत्रों और दस्तावेजो की संख्याः
6. अपील का आधारः–..
   ....
   ....(शपथ पत्र द्वारा समर्थित)
7. प्रार्थनाः– ....
   ....
   ....
   ....

   स्थानः–..

   तारीखः–...

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Annexure –5

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा स्वयं के लेटर हेड पर</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस माल/सामान के लिए संविदा दी है, उसका मैं/हम बोनाफाइड/प्राधिकृत वितरक/बोनाफाइड डीलर/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

मैं/हम जिस माल/सामान/सेवा के लिए निविदा दी है, की आपूर्ति का कार्य ....वर्ष से कर रहा हूँ/रहे हैं।

यदि उक्त घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय रबर सील

Annexure – 6

<u>निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाये</u>

<u>घोषणा–पत्र</u>

हमें/मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में **"उत्तर–पुस्तिकाओं की रद्दी बेचने के दर अनुबन्ध"** हेतु निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है मेरे द्वारा दी कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार कराने के लिए मै विभाग को बाध्य नहीं करूंगा एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो की कठोरता से अनुपालना करूंगा।

हमे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दी गई निविदा की समस्त शर्त स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सम्पूर्ण पता एवं दिनांक

Annexure – 7

50 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्पादित किया जाये

Declaration by the Bidder

I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation:

Address :